उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या-3/1017/865/37-3-2017-3(108)/2006
लखनऊः दिनांक 12 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 के0डी0 प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवॉं, आजमगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पशुपालन विभाग के अन्तर्गत आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ में चतुर्थ श्रेणी/कनिष्ठ लिपिक के चयन में की गयी कतिपय अनियमितताओं के लिये कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3800/37-1-2007-3(108)/2006, दिनांक 28-06-2007 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3798/37-1-2007-3(108)/2006, दिनांक 28-06-2007 द्वारा डा0 प्रसाद को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7349/37-1-2017-3(108)/2006, दिनांक 21-11-2007 द्वारा वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी बीच कार्यालय-आदेश संख्या-2889/37-1-2010-3(108)/2006, दिनांक 08-06-2010 द्वारा डा0 प्रसाद के उक्त निलम्बन को इस शर्त के साथ बहाल किया गया कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत् प्रचलित रहेगी।

2- वित्त नियंत्रक/जांच अधिकारी द्वारा शासन को जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, किन्तु परीक्षणोपरान्त जांच आख्या को अस्वीकार करते हुए शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1670/37-1-2011-3(108)/2006, दिनांक 28-04-2011 द्वारा उक्त जांच हेतु संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा समयाभाव के कारण जांच पूर्ण कराकर जांच आख्या समयान्तर्गत उपलब्ध न कराने के दृष्टिगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-887/37-1-2013-3(108)/2006, दिनांक 22-03-2013 द्वारा अपर निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को जॉंच अधिकारी नामित किया गया। इसी बीच डा0 प्रसाद अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-01-2017 को सेवानिवृत्ति हो गये, जिसके फलस्वरुप उनके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए के अन्तर्गत गतिमान रखने का निर्णय लिया गया।

3- जॉंच अधिकारी से प्राप्त जॉंच आख्या एवं उस पर अपचारी अधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन तथा संगत अभिलेखों के समयक् परीक्षणोंपरान्त कार्यालय-आदेश संख्या-466/37-3-2017-3(108)/2006, दिनांक 12-05-2017 द्वारा डा0 के0डी0 प्रसाद तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवॉं, आजमगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत

किये गये। तदुपरान्त डा0 प्रसाद के पत्र दिनांक 31-05-2017 द्वारा उनके निलम्बन अवधि दिनांक 28-06-2007 से 08-06-2010 के मध्य के अवशेष वेतन एवं भत्तों का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- डा0 प्रसाद के पत्र दिनांक 31-05-2017 द्वारा दिये गये उक्त प्रत्यावेदन पर सम्यक् विचारोंपरान्त शासन द्वारा उनके निलम्बन अवधि दिनांक 28-06-2007 से 08-06-2010 के मध्य के अवशेष वेतन एवं भत्तों का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- अतः एतदद्वारा डा0 के0डी0 प्रसाद, तत्कालीन पशुचिकित्साधिकारी, तरवॉ, आजमगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के निलम्बन अवधि दिनांक 28-06-2007 से 08-06-2010 के मध्य के अवशेष वेतन एवं भत्तों का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबड़े
प्रमुख सचिव।

**<u>संख्या-3/1017/865(1) /37-3-2017, तद्दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1)- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2)- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(3)- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4)- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
(5)- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, आजमगढ।
(6)- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग।
(7)- पशुधन अनुभाग-1।
(8)- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

shasnadesh